29/6/19
27/7/19
13/9

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

द०प्र०सं० की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही

एम०पी० वाद संख्या 30 / 2019

प्रथम पक्ष :— 1. शब्बीर असारी, 2 जनवातु असारी, 3. हबीबुल असारी पिता अलाबुद्दीन असारी 4. अलाबुद्दीन असारी सा० सफरली असारी सा० मजूरा थाना करामार, वर्तमान पता से० 9/ए स्ट्रीट 1 क्वा० न० 213, थाना हरला, जिला बोकारो।

— बनाम :—

द्वितीय पक्ष :—1. शब्बीर असारी 2. अलता असारी पिता भोधु असारी, 3. लालू असारी पिता हनिफ असारी, 4. गुड्डु असारी पिता लालू असारी सा० मजूरा थाना करामार वर्तमान पता से० 9/डी कुम्हार चौक के पास झोपडी, थाना हरला, जिला बोकारो।

कार्यवाही

हरला थाना अप्राथमिकी संख्या 02/19 जो पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी हरला से अग्रसारित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनो पक्षों के बीच छेडखानी एवं मार पीट को लेकर विवाद है जिससे कभी भी विधि–व्यवस्था भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने दोनो पक्षो के विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा 107 के अन्तर्गत निषेधात्मक कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा की है ताकि शान्ति–व्यवस्था बनाया जा सके।

अतः उपर्युक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर दोनों पक्षों के विरूद्ध धारा 107 द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करता हूँ। साथ ही दोनो पक्षों को यह निदेश देता हूँ कि दिनांक 9·3·19 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर कारण–पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि क्या नहीं एक वर्ष तक शांति बनाये रखने के लिए 5,000.00 (पाँच हजार) रूपये का बन्ध–पत्र एवं समतुल्य राशि को दो प्रतिभूतियों के साथ अर्पित करने का आदेश दिया जाय।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

9/3/19 सूचना का तामिला अप्राप्त।
दिनांक 10/4/19 को रखें

S.D.M
Chas

10/4/19 सूचना का तामिला प्राप्त
A/C द्वि० पक्ष की ओर से श्री सहदेव का हाजरी व
II 210 हेतु समय का आवेदन है
दिनांक 24/5/19 को रखें

S.D.M
Chas

24/5/19 प्रथम पक्ष के ओर से धारा 115 का आवेदन है जिसे ... किया जाता है।
दिनांक 29/6/19 को रखें

S.D.M
Chas

29/6/19 द्वि० पक्ष के चार सदस्य का धारा 115 का आवेदन है। प्रथम पक्ष के प्रतिवादी अनुपस्थित। दिनांक 27/7/19 को रखें।

S.D.M
Chas

27/7/19 उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 16/8/19 को रखें।

16/8/19 उभय पक्ष अनु.। दि० 13/9/19 को रखें

S.D.M
Chas

16/8/19.

13/9/19 द्वितीय पक्ष के चार सदस्य का धारा 115 का आवेदन है जिसे अस्वीकृत किया जाता है। प्र० प० द्वारा वाद में अभिरुचि नहीं लेने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

13/9/19

Digitally signed by PRANJAL DHANDA
Date: 2025.08.08 15.49.18 +05:30
Location: 192.168.1.3